संभल में हिरासत में मृत्यु

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में पुलिस हिरासत** में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके परिवार और स्थानीय लोगों ने [हिरासत में यातना](#) का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

मुख्य बिंदु

- **घटना: परिचय**
  - पुलिस ने जहाँ इसकी वजह **दिल का दौरा पड़ने की संभावना जताई,** वहीं पीड़ित के **परिवार और स्थानीय लोगों ने चौकी पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे अधिकारियों को [मॉब लिंचिंग](#)** (भीड़ के हमले) से बचने के लिये वहाँ से भागना पड़ा।
  - बाद में, [रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)](#) के जवानों ने क्षेत्र में बल तैनात करके व्यवस्था बहाल की।
- **हिरासत में यातना**
  - **परिचय:**
  - हिरासत में यातना का अर्थ है **किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक पीड़ा या कष्ट देना,** जो पुलिस या अन्य प्राधिकारियों की हिरासत में हो।
  - यह [मानव अधिकारों](#) **और गरिमा** का गंभीर उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप अक्सर [हिरासत में मृत्यु](#) होती हैं, जो तब होती हैं जब कोई व्यक्ति हिरासत में होता है।
  - **हिरासत में मृत्यु के प्रकार:**
    - **पुलिस हिरासत में मृत्यु:**
      - पुलिस हिरासत में मृत्यु अत्यधिक बल प्रयोग, यातना, चिकित्सा देखभाल से इनकार या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण हो सकती है।
    - **न्यायिक हिरासत में मृत्यु:**
      - न्यायिक हिरासत में मृत्यु भीड़भाड़, खराब स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, कैदी हिंसा या आत्महत्या के कारण हो सकती है।
    - **[सेना](#) या [अर्द्धसैनिक बलों](#) की हिरासत में मृत्यु :**
      - यह अत्याचार, न्यायेतर हत्या, मुठभेड़ या गोलीबारी की घटनाओं के माध्यम से हो सकता है।
  - **भारत में हिरासत में यातना रोकने में चुनौतियाँ:**
    - **यातना एवं अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT)** के अनुसमर्थन का अभाव, जिस पर भारत ने 1997 में हस्ताक्षर किये थे, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
      - **यह भारत को हिरासत में यातना को रोकने और उससे निपटने** के लिये अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और मानकों से बंधे रहने से रोकता है।

मानव अधिकारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, 1948:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक प्रावधान है जो **लोगों को यातना और अन्य ज़बरन गायब किये जाने से बचाता है।**
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945:**
  - संयुक्त राष्ट्र चार्टर में **कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता पर ज़ोर** दिया गया है। चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैदी होने के बावजूद, उनके मौलिक स्वतंत्रताएँ और मानव अधिकार [सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा](#), अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के संधि तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संधि में निर्धारित हैं।
- **नेल्सन मंडेला नियम, 2015:**
  - नेल्सन मंडेला नियमों को [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) **द्वारा वर्ष 2015 में अपनाया गया था ताकि कैदियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जा सके** तथा यातना और अन्य दुर्व्यवहार पर रोक लगाई जा सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/custodial-deaths-in-sambhal